<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील संख्या– 9026/2019</u>

मुकुल कुमार त्यागी ....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

<u>संबद्ध</u>

<u>सिविल अपील संख्या– 9027/2019</u>

राजीव कुमार एवं अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

एवं

<u>सिविल अपील संख्या– 9028/2019</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रवि प्रकाश एवं अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायामूर्ति अशोक भूषण</u>

ये तीनो अपील विशेष अपील संख्या 585 सन् 2018 दीपक शर्मा एवं 05 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कई अन्य विशेष अपीलों में खण्ड पीठ द्वारा दिये गये दिनांक 09.05.2019 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय को प्रश्नगत करते हुए दायर किया गया है। आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 41750 सन् 2015– प्रशांत कुमार जायसवाल एवं 12 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य नीत रिट याचिका संख्या में रिट याचिकाओं के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समूह में 07.10.2017 दिये गये निर्णय को अपास्त करते हुए और सभी रिट याचिकाओं को निरस्त करते हुए अपील की स्वीकृति दी।

2. इन अपीलों को निपटान के लिए, **दीवानी अपील संख्या 9026 सन् 2019 मुकुल कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में उद्भूत होने वाले विधि के तथ्यों और सवालों पर ध्यान देना पर्याप्त होगा। जिसे प्रमुख अपील के रूप में माना जा रहा है। दिनांक 07.10.2017 के निर्णय से विद्वत एकल न्यायाधीश ने **रिट याचिका संख्या ा 41750 सन् 2015– प्रशांत कुमार जायसवाल एवं 12 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य नीत रिट याचिका संख्या में** रिट याचिकाओं के समूह में करने का फैसला किया है। जो निर्णय विशेष अपील सं. 585 सन् 2018 एवं अन्य अपीलों में चुनौती का विषय था जिसमें आक्षेपित निर्णय दिया गया है। इस प्रकार, रिट याचिका संख्या 47510 सन् 2015 को उद्भूत होने वाले प्रासंगिक तथ्यों को नोटिस करना आवश्यक है और घटनाओं का क्रम दिनांक 07.10.2017 विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय के बाद है।

3. इन अपीलों का विषय उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड–II के पद के लिए है। उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत, तत्कालीन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत सेवा आयोग का गठन करने वाले नियमों को तैयार किया था, जिसे प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के बाद, उत्तर प्रदेश विद्युत राज्य बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया और निगम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जिसमें उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड, संचालन कर्मचारी श्रेणी सेवा विनियम, 1995 (इसके बाद "विनियम, 1995" के रूप में संदर्भित) द्वारा बनाए गए विनियमों को अपनाया जाना शामिल हैं, जो तकनीशियन ग्रेड–II के पद के भर्ती के लिए प्रदान किए गए थे। विनियम, 1995 में दी गई अर्हताएं इस प्रकार थीं: –

> "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय/राज्य संवर्ग प्रमाणपत्र विद्युत संवर्ग में विषय के रूप में विज्ञान और गणित के साथ हाई स्कूल पास करना"

4. ओ.एम. दिनांक 24.12.2010 द्वारा निगम ने प्रदान किया कि विनियम, 1995 में उल्लिखित योग्यता के अलावा, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थानों द्वारा जारी विंडोज के ज्ञान के संबंध में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

व्यक्तियों के पास तीन महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए। 29.01.2011 को, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसके द्वारा निगम द्वारा पहले निर्धारित कंप्यूटर योग्यता के संबंध में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया था:–

> "डीओईएसीसी द्वारा जारी 80 घंटे का कंप्यूटर अवधारणा प्रमाणपत्र (सीसीसी) पाठ्यक्रम".

5. कार्यालय मेमो द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक ने दिनांक 05.07.2013 को तकनीशियन ग्रेड–II के पद पर सीधी भर्ती के संबंध में, "डीओईएसीसी द्वारा जारी 80 घंटे का कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) प्रमाणपत्र" के स्थान पर 'कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष कंप्यूटर योग्यता प्रमाणपत्र ' प्रतिस्थापित किया और निगम के निदेशक मंडल के अनुमोदन की मांग की है।

6. निगम द्वारा जारी कार्यालय मेमो दिनांक 29.01.2011 के बाद, विद्युत सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) ने वर्ष

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2011 में तकनीशियन ग्रेड–II के लिए 2974 पदों का विज्ञापन किया था, जहां डीओईएसीसी द्वारा कंप्यूटर अवधारणा प्रमाण पत्र पर पाठ्यक्रम अनिवार्य योग्यता में से एक था। 2011 चयन डीओईएसीसी द्वारा सीसीसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता के साथ पूरा किया गया था।

7. विद्युत सेवा आयोग द्वारा 2211 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 06.09.2014 को एक नया विज्ञापन नंबर 4/वी.एसई.एए/2014 जारी किया गया था। विज्ञापन का अनुच्छेद 2 निम्नलिखित प्रभाव के लिए अनिवार्य योग्यता प्रदान करता है: –

"2. अनिवार्य योग्यताएंः

(1) यू.पी. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, विज्ञान और गणित विषयों के साथ हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय /राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र &

(2) कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) प्रमाणपत्र या इसके समतुल्य कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र।

नोटः इलेक्ट्रिशियन ट्रेड प्रमाणपत्र केवल स्वीकार्य होगा दूरस्थ शिक्षा और अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. 08.11.2014 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और उम्मीदवारों को दिसंबर, 2014/जनवरी, 2015 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। 24.04.2015 को, तकनीशियन ग्रेड II के 884 पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा एक दूसरा विज्ञापन जारी किया गया था। 14.07.2015 को, आयोग ने पहले विज्ञापन के जवाब में 2211 उम्मीदवारों की एक चयनित सूची प्रकाशित की। 31.07.2015 को, 2015 की रिट याचिका संख्या 41750–प्रशांत कुमार जायसवाल एवं 12 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य दायर किए गए थे, जिसमें 31.07.2015 को विद्वत एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:–

> "श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा सहायता प्राप्त, वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री अशोक खरे , याचिकाकर्ताओं के ओर उपस्थित होने वाले विद्वत अधिवक्ता के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित होने वाले स्थायी अधिवक्ता और श्री अय्यन मिश्रा प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता को सुना।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सचिव, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से प्रतिवादीं संख्या 5 से 11 तक को नोटिस जारी की।

प्रतिवादीं की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं और 6 अगस्त, 2015 तक , विशेष रूप से रिट याचिका के पैराग्राफ 24 से 28 में किए गए दावे के संदर्भ में काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया जाता है।

प्रतिवादीं की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता के अनुरोध पर, उपयुक्त न्यायालय के समक्ष 6 अगस्त, 2015 को एक नए मामले के रूप में रखा गया।

मामले को बंधे या भाग के रूप में नहीं सुना जाना चाहिए। प्रतिवादी प्रस्तुतियाँ के लिए विद्वत अधिवक्ता कि कोई अंतिम निर्णय आक्षेपित चयन सूची के अनुसरण में नहीं लिया जाएगा।

आदेश दिनांक:–31.7.2015"

9. 2015 की रिट याचिका संख्या 41750 के याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा 14.07.2015 को प्रकाशित चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं ने 14.07.2015 की चयनित सूची को रद्द करने की मांग की और उम्मीदवारों को बाहर करने के बाद चयन सूची में संशोधन की मांग की, जिन्होंने 30.09.2014 के बाद की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तारीख पर कंप्यूटर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और अन्य उम्मीदवार, जिनके पास डीओईएसीसी सोसाईटी [राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के रूप में नाम दिया गया], द्वारा कंप्यूटर अवधारणा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिनिधि योग्यता में विभिन्न चयनित उम्मीदवारों को रखा था। याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि सीसीसी प्रमाणपत्र केवल डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी द्वारा दिया जाता है और निजी या गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को समकक्ष उपचार के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने निजी और गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाण पत्र दायर किए हैं, को विज्ञापन द्वारा निर्धारित योग्यता के अधिकारी के रूप में संघटित नहीं किया जा सकता है।

10. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.02.2016 को एक आदेश पारित किया गया था कि प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली सभी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम निर्णय का पालन करेंगी। एकल न्यायाधीश ने दिनांक 12.08.2016 के अपने आदेश से आयोग को आगे हलफनामा दायर करने के लिए बुलाए गए मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान दिया। आयोग ने एक हलफनामा दायर किया और 27.01.2015 के फैसले का हवाला दिया, जहां प्रतिवादीं ने सीसीसी सर्टिफिकेट के बराबर तीन महीने या 80 घंटों के पाठ्यक्रम की परिणति पर दिए गए प्रमाण पत्र का उपचारित किया था। रिट याचिकाकर्ताओं, विद्युत आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की सुनवाई के बाद एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं की अनुमति दी। जहॉ तक कि एकल न्यायाधीश ने विचाराधीन विज्ञापनों के लिए तैयार की गई चयनित सूची को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जो एनआईईएलआईटी द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं रखते हैं। विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादीं को निर्देश दिया कि वे उम्मीदवारों को इसे प्रतिबंधित करने वाली चयनित सूची को फिर से जारी करें, जो एक मान्यता प्राप्त सीसीसी प्रमाणपत्र या विधि में मान्यता प्राप्त योग्यता के समकक्ष है। आयोग को मेरिट सूची को फिर से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रकाशित करने और उसके परिणामों को नए सिरे से प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया गया था। विद्ववत एकल न्यायाधीश का निर्णय को दिनांक 07.10.2017 को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था। 07.10.2017 के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मेरिट सूची को संशोधित किया गया था। संशोधित मेरिट सूची 21.06.2018 को प्रकाशित की गई थी। कई उम्मीदवारों, जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र या समकक्ष नहीं था , को चयनित सूची से हटा दिया गया था। उम्मीदवारों में से एक, जिसका नाम हटा दिया गया था, ने दिनांक 13.05.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका संख्या 13216 सन् 2018 –रोहित बनाम यूपी राज्य एवं 2 अन्य दायर की, जिसके द्वारा उनका नाम हटा दिया गया था। दिनांक 30.05.2018 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। रोहित द्वारा 2018 की एक विशेष अपील संख्या 582 दायर की गई थी, रिट याचिकाकर्ता, जिसे भी खण्ड पीठ ने 22.06.2018 को खारिज कर दिया था, ने विद्ववत एकल न्यायाधीश के विचार की पुष्टि की कि रिट याचिकाकर्ता (रोहित) के पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसके समकक्ष पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र नहीं था। एनआईईएलआईटी द्वारा अक्टूबर वर्ष 2015 में जारी किया गया प्रमाण पत्र जोकि आवेदन की अंतिम तिथि (यानि दिनांक 30.09.2014) के बाद जारी किया गया जिसके कारण अभ्यर्थी को पात्र नही माना गया है। 21.06.2018 को संशोधित सूची के प्रकाशन के परिणामस्वरूप लगभग 903 उम्मीदवार चयन सूची से बाहर हो गए। अन्य उम्मीदवार, जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र या उसके समकक्ष थे, को चयनित सूची में शामिल किया गया था। 2019 के दीवानी अपील सं. 9026 में अपीलकर्ता– मुकुल कुमार त्यागी और 2019 के दीवानी अपील संख्या 9027– राजीव कुमार एवं अन्य अपीलकर्ता हैं, जो चयन सूची के संशोधन के बाद चयन सूची में आए थे और उसके बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे और पोस्ट में शामिल हो गए हैं और तारीख के अनुसार काम कर रहे हैं।

11. 2018 की विशेष अपील सं. 585 और अन्य जुड़े अपीलों में खण्ड पीठ ने 24.08.2018 को प्रतिवादी को एक निर्देश जारी किया कि वह अपीलकर्ताओं और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के पास

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आईटीआई/किसी भी व्यावसायिक पात्रता की योग्यता का समतुल्यता बनाए। खण्ड पीठ के दिनांक 24.08.2018 के निर्णय और निर्देश पर सवाल उठाते हुए, 2018 की विशेष अनुमति अपील (सी) सं. 24585 इस न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे 01.10.2018 को निपटाया गया था। खण्ड पीठ द्वारा आयोग को जारी किया गया निर्देश अंतरिम में निष्क्रिय किया गया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह विशेष अपील को यथाशीघ्र निपटाने का अनुरोध करे।

12. विशेष अपील अंततः खण्ड पीठ द्वारा 09.05.2019 के अपने फैसले को रद्द कर दिया गया। विशेष अपीलों की अनुमति दी गई है, 07.10.2017 दिनांकित एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त किया गया है और सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

13. खण्ड पीठ के दिनांक 09.05.2019 के फैसले से व्यथित होकर ये अपीलें दायर की गई हैं।

14. 2019 की दीवानी अपील सं. 9026 में अपीलकर्ता, मुकुल कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, और 2019 की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दीवानी अपील सं. 9027, राजीव कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम संशोधित चयन सूची में शामिल किए गए थे दिनांक 21.06.2018 को आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एकल न्यायाधीश के दिनांक 07.10.2017 को निर्णय लिया गया था। 21.06.2018 की संशोधित चयन सूची में शामिल होने के बाद उपरोक्त दोनों अपीलों के अपीलकर्ताओं को तकनीशियन ग्रेड–II के पद पर भी नियुक्त किया गया था।

15. दीवानी अपील सं. 9026/2019 में, पहली प्रतिवादी यू.पी. राज्य है, दूसरी प्रतिवादी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तीसरी प्रतिवादी प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और चौथी प्रतिवादी विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। प्रतिवादी सं. 5 से 11 विशेष अपील सं. 585 सन् 2018 में प्रतिवादी सं. 5 से 11 थे। प्रतिवादी सं. 12 से 23 यथानियम प्रतिवादी हैं, जो अपीलकर्ता मुकुल कुमार त्यागी के साथ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2018 की विशेष अपील सं. 585 में प्रतिवादी थे। विशेष अपील सं. 585 सन् 2018 में प्रतिवादी सं. 24 से 29 अपीलकर्ता थे।

16. दीवानी अपील सं. 9028 सन् 2019, रवि प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, उन उम्मीदवारों द्वारा अपील की जाती है, जो लिखित परीक्षा में और साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे, लेकिन मूल चयन सूची में या संशोधित चयन सूची में शामिल नहीं थे। सभी अपीलकर्ता ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास डीओईएसीसी से सीसीसी प्रमाण पत्र है, इसके बावजूद कि उन्हें मूल मेरिट सूची या संशोधित मेरिट सूची में जगह नहीं मिली।

17. हमने वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता सुश्री अंजना प्रकाश और अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता सुश्री महालक्ष्मी पवानी को सुना है। वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे, वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल और निजी प्रतिवादीं की ओर से श्री देबाशीष भरुका उपस्थित हुए हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी यूपीपीसीएल एवं विद्युत सेवा आयोग के लिए उपस्थित हुए हैं।

18. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया ने तर्क दिया कि आयोग द्वारा तैयार की गई 14.07.2015 की चयन सूची में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिन्होंने 14.09.2014 के विज्ञापन के अनुसार पात्रता को पूरा नहीं किया था। चयनित सूची दिनांक 14.07.2015 में डीओईएसीसी या एनआईईएलआईटी से कोई सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं था। जिन प्रमाणपत्रों पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों द्वारा भरोसा किया गया था, वे निजी संस्थानों से प्राप्त प्रमाण पत्र थे, जो गैर मान्याता प्राप्त थे और जो कोई प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं थे और न ही ऐसा प्रमाण पत्र सीसीसी के बराबर हो सकता था। एकल न्यायाधीश ने यह पाया कि आयोग ने चयनित सूची में उन उम्मीदवारों को शामिल किया है जिनके प्रमाण पत्र सीसीसी के बराबर नहीं थे और आयोग द्वारा प्रमाणपत्रों की समानता को सत्यापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जैसा कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों द्वारा दावा किया गया था कि आयोग ने निर्णय द्वारा निर्देशित किया था दिनांक 07.10.2017 को उन उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की तुल्यता को सत्यापित करने के बाद चयन सूची को फिर से तैयार करने के लिए जिन्होंने सीसीसी प्रमाणपत्र दायर नहीं किया था।

19. श्री पटवालिया ने उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन की कि उनकी कंप्यूटर योग्यता सीसीसी के बराबर है, पूरी तरह से अनधिकृत और अवैध थी। चयन प्रक्रिया में आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा उन्हें चयनित सूची में शामिल करने के लिए स्व–अनुमोदन पर भरोसा किया जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का अनुचित एवं उल्लघन था।

20. श्री पटवालिया ने स्वीकार किया कि योग्यताएँ जो तकनीशियन ग्रेड–II के पद पर भर्ती के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, चयन प्रक्रिया में कड़ाई से पालन किया जाना था। श्री पटवालिया ने स्वीकार किया कि डीओईएसीसी द्वारा सीसीसी प्रमाणपत्र जारी किया गया था जो बाद में एनआईईएलआईटी बन गया जो सीसीसी प्रमाणपत्र

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जारी करने के लिए एकमात्र मान्यता प्राप्त प्राधिकारी है। सीसीसी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय नहीं मिला है। सीसीसी के बराबर एक कंप्यूटर प्रमाणपत्र घोषित करने के लिए, भर्ती प्राधिकारी/नियोक्ता को सीसीसी प्रमाणपत्र की पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणपत्र की पाठ्यक्रम सामग्री की तुलना करनी होती है जिसे सीसीसी के बराबर होने का दावा किया जाता है।

21. श्री पटवालिया ने स्वीकार किया कि प्रश्नगत चयन में, सीसीसी को कंप्यूटर प्रमाणपत्र की समानता घोषित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या मानदंड नहीं थे। संपूर्ण चयन प्रक्रिया में, निजी संगठनों, पंजीकृत सोसाईटी से प्रमाण पत्र का दावा करने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए आयोग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो किसी भी कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

22. यह तर्क दिया गया कि सभी अपीलकर्ता उम्मीदवार हैं, जिन्होंने डीओईएसीसी से सीसीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और वे मेरिट सूची

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन 14.07.2015 की मूल चयन सूची में अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए, उन्हें मेरिट सूची में जगह नहीं मिल सकी। 07.10.2017 को विद्ववत एकल न्यायाधीश के निर्णय को निगम के साथ–साथ आयोग द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है और निर्णय के अनुपालन में, संशोधित मेरिट सूची तैयार की गई थी।

23. यह तर्क दिया गया है कि चयनित सूची को संशोधित करने में, यू.पी. राज्य द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.05.2016, जो कंप्यूटर योग्यता के समतुल्य होने के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है, का पालन किया गया था और सरकार के आदेश दिनांक 03.05.2016 के अनुसार सीसीसी प्रमाणपत्र की तुल्यता घोषित किया गया था और उन उम्मीदवारों को जो सरकारी आदेश दिनांक 03.05.2016 के अनुसार समतुल्यता को पूरा करते हैं, उन्हें चयनित सूची में शामिल किया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

24. श्री पटवालिया ने तर्क दिया कि खण्ड पीठ ने सीसीसी सर्टिफिकेट के बराबर उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन को स्वीकार कर लिया है, जो कि अपरिहार्य है।

25. श्री पटवालिया ने आगे कहा कि आईटीआई प्रमाण पत्र और अन्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र जो खण्ड पीठ को सीसीसी प्रमाणपत्र के बराबर माना जाता है, टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि आईटीआई और अन्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र सीसीसी प्रमाण पत्र की पाठ्यक्रम सामग्री के अनुरूप नहीं है और इसे कभी भी प्रमाण पत्र के बराबर नहीं माना जा सकता है। श्री पटवालिया ने आगे कहा कि 07.10.2017 को विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद, संशोधित चयन सूची तैयार की गई थी, जिसे संशोधित चयन सूची को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके अलग से चुनौती दी गई थी, जिसे चयनित सूची के संशोधन को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था। 2018 के विशेष अपील सं. 582 के विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अपील को भी उन उम्मीदवारों के विलोपन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था जिनके पास सीसीसी के बराबर कंप्यूटर प्रमाणपत्र नहीं थे।

26. यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 07.10.2017 के फैसले के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा की गई कवायद को बरकरार रखा है, जो कि आक्षेपित फैसले में खण्ड पीठ एक विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकती थी। यह कहा गया है कि 2018 के विशेष अपील सं. 585 में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आक्षेपित फैसले को भी लागू नहीं किया गया है।

27. श्री पटवालिया ने कहा कि खण्ड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने में त्रुटि की है और जिसके परिणामस्वरूप पद के लिए योग्यता को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों के नाम वाले चयन सूची को बहाल करना है। यह कहा जाता है कि खण्ड पीठ उन योग्यताओं को कम नहीं कर सकती थी जो विज्ञापन में निर्धारित की गई थीं, जब किसी के द्वारा योग्यता को कोई चुनौती नहीं थी। श्री पटवालिया ने कहा कि सीसीसी प्रमाणपत्र केवल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी द्वारा दिया गया है और विज्ञापन में आवश्यक सीसीसी प्रमाणपत्र डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र था।

28. श्रीमती अंजना प्रकाश, दीवानी अपील सं. 9027/2019 में उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री पटवालिया की प्रस्तुतियाँ को अपनाया और कहा कि सभी अपीलकर्ताओं को संशोधित चयन सूची में शामिल किया गया था जिन्हें नियुक्त किया गया है और काम कर रहे हैं।

29. श्रीमती महालक्ष्मी पवानी, दीवानी अपील सं. 9028/ 2019 रवि प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ने कहा कि अपील में सभी अपीलकर्ताओं के पास डीओईएसीसी से सीसीसी प्रमाणपत्र हैं, लेकिन उन्हें मूल चयन सूची या संशोधित चयन सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि तकनीशियन ग्रेड–II के पद पर 161 रिक्तियां हैं, जो इस्तीफे और गैर–शामिल होने के कारण हुई हैं, जिन रिक्तियों पर अपीलकर्ताओं, जिनके पास सीसीसी प्रमाण पत्र हैं और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भाग

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिया है, न्युक्ति दी जा सकती है। उसने प्रार्थना की कि उपरोक्त रिक्त पदों पर अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए उचित निर्देश जारी किया जाए।

30. प्रत्यर्थीयों की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवें ने अपीलार्थीयों के विद्वत अधिवक्ता के कथनो, जिसमें उन्होंने खंण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया है, का खण्डन कर दिया है। श्री दवें ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में चयनित उम्मीदवारों को पार्टी नहीं बनाया जा सकता , विद्वत एकल न्यायाधीश चयनित सूची को रद्द नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि विद्वत एकल न्यायाधीश का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है क्योंकि यह चयनित उम्मीदवारों की सुनवाई के बिना पारित किया गया था, जिन्होंने पद पर चयन के लिए सही परिणाम प्राप्त किया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने चयन में भाग लेने के बाद चयन सूची को चुनौती दी है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निरसित किया जाना चाहिए। जिन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उम्मीदवारों को चयनित होने का मौका मिला है, वे नकार नहीं सकते हैं और चयन को चुनौती देने में असफल घोषित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन में विज्ञापन या योग्यता को कभी चुनौती नहीं दी है।

31. श्री दवे ने स्वीकार किया कि निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 के मद्देनजर, जो 23.11.2015 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित *पूर्वव्यापी* था, डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी से सीसीसी प्रमाणपत्र होने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी से सीसीसी प्रमाण पत्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रतिवादीं द्वारा दावा किए गए प्रमाण पत्र वे प्रमाण पत्र थे जो विज्ञापन में निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं।

32. यह तर्क दिया गया है कि यह नियोक्ता या भर्ती एजेंसी के लिए प्रमाण पत्र की समानता की घोषणा करने के लिए है और आयोग प्रतिवादीं द्वारा दावा किए गए समकक्ष प्रमाण पत्र से संतुष्ट है , विद्वत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एकल न्यायाधीश को आयोग द्वारा तुल्यता की घोषणा के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह कहा जाता है कि दिनांक 14.07.2015 की चयनित सूची के अनुसरण में प्रतिवादीं को अगस्त, 2015 में नियुक्ति दी गई थी और वे पद में शामिल हो गए थे और मई/जून 2018 में उनकी नियुक्ति रद्द होने तक लगभग तीन वर्षों तक काम किया था।

33. यह आगे कहा गया है कि अधिकांश प्रतिवादीं ने साक्षात्कार की तारीख से पहले सीसीसी प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया है और संशोधित चयनित सूची से हटाए गए अधिकांश उम्मीदवार अब सीसीसी प्रमाणपत्रों के अधीन में हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान चयन में, आयोग की ओर से *दुर्भावपूर्ण* और मनमानी का कोई आरोप नहीं है। वह आगे कहता है कि विनियम, 1995 जो तकनीशियन ग्रेड–II के पद पर भर्ती के लिए वैधानिक विनियमन है, को सीसीसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। श्री दवे ने कहा कि स्व –प्रमाणन एक ऐसी प्रणाली है जो विज्ञापन में ही निर्धारित है। विज्ञापन ने अब डीओईएसीसी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र को जाने दिया है, प्रश्नगत में भर्ती में डीओईएसीसी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि खण्ड पीठ का अंतिम निष्कर्ष सही है, जिसे इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

34. श्री नीरज किशन कौल ने श्री दुष्यंत दवे द्वारा प्रस्तुत सबमिशन के अलावा कहा है कि वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां विद्वत एकल न्यायाधीश को चयनित सूची को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। 14.07.2015 की चयनित सूची में चुने गए सभी उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को मंजूरी दे दी है और अपीलकर्ताओं की तुलना में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। जिन उम्मीदवारों को प्रारंभिक चयन सूची में शामिल किया गया था, उन्होंने अलग–अलग आईटीआई और व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे, जो कंप्यूटर योग्यता के आवश्यक ज्ञान और आवश्यकता को पूरा करते हैं।

35. यह तर्क दिया जाता है कि सीसीसी प्रमाणपत्र एक बुनियादी कंप्यूटर पाठ्यक्रम है और आयोग ने पहले से ही योग्यता को पूरा करने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वाले उम्मीदवारों को पाया है, विद्वत एकल न्यायाधीश को अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। सीसीसी प्रमाणपत्र एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम है, जो आम आदमी के लिए बनाया गया एक पाठ्यक्रम है. तीन साल तक काम करने वाले प्रतिवादीं को अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वह आगे दोहराता है कि कई प्रतिवादीं ने साक्षात्कार से पहले सीसीसी प्रमाणपत्र प्राप्त किया था।

36. श्री भरुका ने श्री दवे और श्री नीरज किशन कौल की प्रस्तुतियाँ भी अपनाईं।

37. निगम के ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी और आयोग ने रोहित कुमार की रिट याचिका का उल्लेख किया है, जिसे आयोग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, जिसमें विद्वत एकल न्यायाधीश के दिनांक 07.10.2017 के फैसले के अनुसरण में कई उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया था, जो रिट याचिका विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। खण्ड

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पीठ ने रोहित कुमार के मामले में विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले की भी पुष्टि की।

38. श्री पराग त्रिपाठी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आयोग या निगम ने यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि क्या उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र 14.07.2015 को चयनित सूची घोषित करने से पहले सीसीसी प्रमाणपत्र के बराबर थे। श्री त्रिपाठी ने 2019 के दीवानी अपील सं. 9026 में विद्युत सचिव/सदस्य, विद्युत सेवा आयोग द्वारा दायर जवाबी हलफनामा, मुकुल कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में संदर्भित किया है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि सीसीसी प्रमाणपत्र की समानता को पूरा करने में आयोग ने दिनांक 03.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत दिए गए दिशानिर्देशों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि बाद के सरकारी आदेश दिनांक 23.09.2016 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों के सभी पदों पर दिनांक 03.05.2016 के सरकारी आदेश का दायरा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 07.10.2017 के विद्वत एकल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में, निगम ने मानदंड तय करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके आधार पर सीसीसी की समानता का निर्णय लिया जा सकता है। समिति में आठ अधिकारी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित चयन सूची जारी की गई थी। 07.10.2017 को विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद, कई उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, जिन्हें 14.07.2015 की चयनित सूची में शामिल किया गया था, उन्हें पात्र नहीं मानते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसे आयोग की कार्रवाई को उच्च न्यायालय की भी मंजूरी मिल गई है।

39. हमने पक्षकारों के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

40. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण और अभिलेख पर दलीलों से, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार के लिए उद्भूत होते हैं: –

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(I) क्या "कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम" (सीसीसी) प्रमाणपत्र और दिनांक 06.09.2014 के विज्ञापन में सीसीसी प्रमाणपत्र की परिकल्पना की गई है?

(ii) क्या 06.09.2014 के विज्ञापन में अपनी कंप्यूटर योग्यता के सीसीसी प्रमाण पत्र के लिए 'तुल्यता' के उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन की परिकल्पना की गई थी और उनकी कंप्यूटर योग्यता के उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन आवश्यक योग्यता रखने वाले उपचार के लिए पर्याप्त थी?

(iii) क्या निगम या आयोग ने सीसीसी प्रमाणपत्र के "समानता" का अवधारण करने के लिए कोई मापदंड या मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित किया था या अपनाया था?

(iv) क्या आयोग द्वारा उन लोगों की कंप्यूटर योग्यता के "समानता" का निर्धारण करने के लिए भर्ती की प्रक्रिया में कोई प्रयास किया गया था, जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र नहीं था?

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(v) क्या उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उन लोगों को जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र नहीं है, बाहर करने के लिए विद्वत एकल न्यायाधीश की दिशा निर्देश को सही अपास्त ठहराया है?

(vi) क्या विद्वत एकल न्यायाधीश को चयन सूची को रद्द नहीं करना चाहिए जब चयनित उम्मीदवारों को रिट याचिकाओं में निहित नहीं किया गया था।?

<u>विन्दु संख्या– 1</u>

41. डीओईएसीसी सोसायटी द्वारा कंप्यूटर अवधारणा (सीसीसी) प्रमाणपत्र पर पाठ्यक्रम जारी किया गया था और उसके बाद राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

था। **इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन कंप्यूटर पाठ्यक्रम (डीओईएसीसी) सोसायटी विभाग** का गठन वर्ष 1994 में किया गया था और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। सोसाइटी का प्रबंधन और प्रशासन भारत सरकार के राज्य, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद के प्रवंधन में है। परिषद् के सदस्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि के प्रख्यात अकादमी और उद्योग के पेशेवर शामिल हैं। डीओईएसीसी योजना के तहत, गैर–औपचारिक क्षेत्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों, अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों और मानदंडों को पूरा करने के अधीन, पाठ्यक्रम के निर्दिष्ट स्तर के संचालन के लिए मान्यता दी गई थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों को डीओईएसीसी योजना के तहत मान्यता दी गई थी। कंप्यूटर पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट ऐसे प्रमाणपत्रों में से एक है, जिसे डीओईएसीसी सोसायटी के तत्वावधान में प्रदान किया जा रहा था। अपने फैसले में विद्वत एकल न्यायाधीश ने सीसीसी प्रमाणपत्र की पाठ्यक्रम सामग्री निकाली है, जो पेपर बुक के पेज 143 से 145 पर है। पाठ्यक्रम की अवधि 80 घंटे (थ्योरी: 25 घंटे +

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रैक्टिकल: 50 घंटे + ट्यूटरियल: 05 घंटे) है, जिसे 10 दिनों के पूर्णकालिक गहन पाठ्यक्रम के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पाठ्यक्रम सामग्री कंप्यूटर ज्ञान एवं सामग्री और विस्तृत पाठ्यक्रम पर विभिन्न अध्यायों की परिकल्पना करती है। सीसीसी पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम की प्रति भी अनुलग्नक P–14 के रूप में अभिलेख पर लायी गई है, जो 05 पृष्ठों में चल रही है, कंप्यूटर का विवरण–परिचय; गुई आधारित संचालन प्रणाली की भूमिका; शब्द प्रसंस्करण के तत्व; स्प्रेड शीट; कंप्यूटर संचार और इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउज़र, संचार और सहयोग बनाने वाली छोटी प्रस्तुतियां।

42. डीओईएसीसी सोसायटी द्वारा जारी दिनांक 10.05.2012 को अपीलार्थी–मुकुल त्यागी के पक्ष में दिये गए प्रमाण पत्र अभिलेख में लाया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "संजात होने वाले उम्मीदवार ने कंप्यूटर अवधारणाओं पर डीओईएसीसी पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की है।" इस प्रमाणपत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि "अनुभव इंफोटेक लिमिटेड, [एफआर यूपीटीईसी], मेरठ द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उम्मीदवार को प्रायोजित किया जाता है।" इस प्रकार, सीसीसी प्रमाणपत्र जो डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे अब राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा लिया गया है, जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। सीसीसी प्रमाणपत्र, इस प्रकार, भारत सरकार के एक प्रसिद्ध प्रमाण पत्र है, जिसे देशभर में विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यता का हिस्सा बनाया गया है। न तो रिकॉर्ड पर कोई मामला है और न ही यह बताने के लिए कोई सामग्री है कि सीसीसी प्रमाण पत्र भी किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। किसी भी आवेदक या निगम या आयोग द्वारा रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण पत्र नहीं लाया गया है जो यह दर्शाता है कि सीसीसी प्रमाण पत्र डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी को छोड़कर किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने यह पाया है कि सीसीसी प्रमाणपत्र केवल एनआईईएलआईटी द्वारा दिया गया है जिसे पहले डीओईएसीसी सोसायटी के रूप में जाना जाता था। इस

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संबंध में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं: –

> "हालांकि श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि किसी भी संगठन द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है, यह किसी भी सामग्री या साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। वास्तव में, और इसके विपरीत यह इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर प्रकट होता है कि सीसीसी प्रमाणपत्र केवल एनआईईएलआईटी या केंद्रों द्वारा मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त है।"

43. विशेष अपील में, जिसे विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था, न तो कोई आधार था और न ही कोई दलील थी कि सीसीसी प्रमाणपत्र किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। आक्षेपित फैसले में खण्ड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश की उपरोक्त निष्कर्ष को अपास्त नहीं किया है कि प्रमाण पत्र केवल एनआईईएलआईटी (पूर्व में डीओईएसीसी सोसायटी) द्वारा दिया गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

44. प्रस्तुतियाँ में से एक, जिसे प्रतिवादी के वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ताश्री दुष्यंत दवे ने अगवाई किया है, कि डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसे ओ.एम दिनांक 29.01.2011 द्वारा प्रदान किया गया था। दिनांक 05.07.2013 को निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किया गया, जिसे बाद में 23.11.2015 को पूर्वव्यापी अनुमोदित किया गया था, इसलिए डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी से सीसीसी प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सच है कि निगम द्वारा जारी किए गए 29.01.2011 के ओ.एम. में, विशेष आवश्यकता डीओईएसीसी सोसायटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र की थी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। तकनीकी ग्रेड–II के 2974 पदों को भरने के लिए आयोग द्वारा उपरोक्त आधार पर भर्ती वर्ष 2011 में की गई थी। दिनांक 05.07.2013 को प्रबंध निदेशक ने एक ओ.एम. जारी किया, जहां डीओईएसीसी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र के स्थान पर ओ.एम. दिनांक 29.01.2011 में प्रदान किया गया था, यह प्रावधान किया गया था कि उम्मीदवार के पास सीसीसी प्रमाण पत्र या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

होनी चाहिए, दिनांक 06.09.2014 को जो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ओ.एम. दिनांक 05.07.2013 में उल्लिखित कंप्यूटर योग्यता थी। जब प्रबंध निदेशक ने ओ.एम. दिनांक 05.07.2013 में कंप्यूटर अवधारणा प्रमाणपत्र (सीसीसी) पर पाठ्यक्रम को संदर्भित किया, जहां उन्होंने उल्लेख किया है कि सीसीसी प्रमाणपत्र, यह नहीं माना जा सकता है कि डीओईएसीसी या एनआईईएलआईटी द्वारा सीसीसी प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया गया था। जब कोई अन्य निकाय या प्राधिकरण सीसीसी प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहा है, तो यह मानना होगा कि सीसीसी प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक के ओ .एम में उल्लिखित है और विज्ञापन डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने एक विशेष उद्देश्य की सेवा के लिए आवश्यक आवश्यकता के रूप में कंप्यूटर योग्यता को जोड़ा था और इस तरह की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन किया था ताकि वे नौकरी के अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकें। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि डीओईएसीसी से सीसीसी प्रमाणपत्र को हटाकर प्रबंध निदेशक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

डीओईएसीसी द्वारा सीसीसी प्रमाणपत्र के साथ दूर करना चाहता था या मान्यता प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए अनिश्चितता या पटल उपलब्ध करना चाहता था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब समकक्ष कंप्यूटर प्रमाणपत्र की योग्यता प्रदान की गई थी और जोड़ा गया था, तो कोई भी प्रमाण पत्र, जिसे सीसीसी प्रमाणपत्र के समतुल्य माना जा सकता है, एक उम्मीदवार को पात्रता प्रदान करेगा। इस प्रकार, सही निर्धारण, जो उम्मीदवार द्वारा भरोसा किए गए समकक्ष कंप्यूटर प्रमाण पत्र के संबंध में किया जाना था, यह पता लगाना था कि यह सीसीसी प्रमाणपत्र के बराबर था या नहीं। लेकिन आक्षेपित दिनांक 05.07.2013 ओ.एम. द्वारा प्रबंध निदेशक द्वारा योग्यता में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि सीसीसी प्रमाणपत्र या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता में, तुल्यता का पता लगाया जाना था और जिसमें इसमें केवल डीओईएसीसी या एनआईईएलआईटी द्वारा जारी सीसीसी प्रमाणपत्र शामिल नहीं होगा। कोई अन्य दृष्टिकोण निगम या आयोग के हित में नहीं होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

45. जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 14.09.2014 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्होंने इस आशय के विज्ञापन को भी समझा था कि विज्ञापन में संदर्भित समकक्ष कंप्यूटर योग्यता एनआईईएलआईटी के सीसीसी प्रमाण पत्र के बराबर कंप्यूटर योग्यता है। आवेदकों में से एक, जिसने अपनी योग्यता के समकक्षता की स्व–घोषणा दायर की थी, ने निम्नलिखित कथन किया है 'जैसा कि उनके निर्णय में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा उद्धृत किया गया है': –

> "..... मैं, अभिजीत कुमार पुत्र श्री बीरेन्द्र पांडे एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि विज्ञापन संख्या 4/वीज़ा/2014 तकनीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) के पद के लिए साक्षात्कार के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर प्रमाणपत्र 'सीसीसी' पाठ्यक्रम के बराबर है।
>
> यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर प्रमाणपत्र 'सीसीसी' के बराबर नहीं पाया जाता है, तो पावर सर्विस कमीशन द्वारा उम्मीदवारी के बारे में जो भी निर्णय लिया जाएगा, वही मुझे स्वीकार्य होगा। यहां तक कि अगर मेरी उम्मीदवारी रद्द/खारिज कर दी जाती है, तो मैं किसी भी तरह का दावा नहीं करूंगा...."

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

46. एकल न्यायाधीश ने दिनांक 07.10.2017 के अपने फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें चयनित सूची को केवल उस हद तक रद्द कर दिया गया था, जिसमें इसमें ऐसे उम्मीदवार शामिल थे , जिन्होंने एनआईईएलआईटी द्वारा सीसीसी प्रमाणपत्र प्रदान या मान्यता प्राप्त नहीं किया था। विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय का प्रवर्ती भाग इस प्रकार है: –

> "……प्रश्नगत सूची में विज्ञापनों के अनुसार चयनित सूची तैयार की गई है जहाँ तक इसमें ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जो एनआईईएलआईटी द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं रखते हैं।
>
> प्रतिवादीं को परिणाम में चयनित सूची को फिर से शामिल करना होगा, जो इसे मान्यता प्राप्त सीसीसी प्रमाणपत्र या विधि में मान्यता प्राप्त योग्यता के समकक्ष होने के लिए प्रतिबंधित करता है। आयोग उपरोक्त के परिणामस्वरूप, मेरिट सूची को फिर से तैयार करेगा और उसके परिणामों को नए सिरे से प्रकाशित करेगा। इसके सभी परिणाम होंगे।"

47. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आयोग और निगम ने दिनांक 07.10.2017 को विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्वीकार कर लिया और चयनित सूची को फिर से तैयार करने के लिए आगे बढ़े। दिनांक 29.01.2018 के पत्र द्वारा विद्युत सेवा आयोग को सूचित किए गए निगम के निदेशक मंडल का निर्णय जिसे जवाबी हलफनामा में दीवानी अपील संख्या 9026/2019 में प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 की ओर से दायर किया गया जबकि एनआईईएलआईटी/ डीओईएसीसीसीसी द्वारा जारी किए गए सीसीसी प्रमाण पत्र को संदर्भित करता है, जबकि डीओईएसीसी /एनआईईएलआईटी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए प्रमाण पत्र की समानता का निर्धारण किया गया है।

48. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 29.01.2018 को सचिव, विद्युत सेवा आयोग को लिखे गए पत्र का उल्लेख करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: –

> "सचिव
> विद्युत सेवा आयोग
> यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
> एस.एल.डी.सी. परिसर, मुख्यमंत्री आवस के पास,
> विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विषय:–एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी द्वारा जारी 'सीसीसी' प्रमाणपत्रों की तुल्यता के निर्धारण के लिए 17.01.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 136 (08) वीं बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया टिप्पणी संख्या – दिनांक 30.12.2017 के संदर्भ को स्वीकार करें जिसके द्वारा दिनांक 28.12.2017 की सिफारिश कार्यालय ज्ञापन सं. 354 और 355 विनियम/पाकली 2017–7 विनियमन/17 दिनांक 19.12.2017 द्वारा गठित समिति द्वारा दी गई है। एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी द्वारा जारी 'सीसीसी' प्रमाणपत्रों की तुल्यता के निर्धारण के लिए निदेशक मंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

17.01.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 136 (08) वीं बैठक में निदेशक मंडल को मामला प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नलिखित शर्तों में एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी द्वारा जारी 'सीसीसी' प्रमाण पत्र के समकक्षता के निर्धारण के लिए अनुमोदन दिया गया था: –

निदेशक (पी एंड ए) ने सूचित किया कि दिनांक 07.10.2017 के निर्णय के अनुपालन में 2015 की रिट याचिका सं. 41750 में पारित किया गया था, 'सीसीसी' प्रमाण पत्र/पाठ्यक्रम की तुल्यता के निर्धारण के लिए निदेशक (पी एंड ए) की अध्यक्षता में अन्य संस्थानों द्वारा जारी एक समिति

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

का गठन किया गया था। और उनकी वैधता जिसमें जी.ओ. संख्या 2/2016/3/1/2015–प्रदर्श–2 दिनांक 03.05.2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए अनुमोदन दिया गया था।

उपरोक्त समिति द्वारा दी गई सिफारिश को मंजूरी देते हुए निदेशक मंडल ने जी.ओ. संख्या 2/2016/3/1/2015–प्रदर्श–2 दिनांक 03.05.2016 को 'सीसीसी' प्रमाणपत्र की समकक्षता का निर्धारण के बाद यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नवीनतम जी.ओ. को शामिल करने के लिए निर्देशित किया।

अंत: निदेशक मंडल के उपरोक्त निर्णय की फोटोकॉपी का उल्लेख करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया था कि उक्त मामले में उपरोक्त के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना है।

भवदीय

(राकेश भट्ट)
उप सचिव
(विनियम और का.वी.नी)"

49. जिन उम्मीदवारों के पास एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी से सीसीसी प्रमाणपत्र था और जिन्हें दिनांक 14.07.2015 की मेरिट सूची में शामिल किया गया था, वे एकल न्यायाधीश के दिनांक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

07.10.2017 के निर्णय से प्रभावित नहीं थे क्योंकि सूची को केवल उन उम्मीदवारों के रूप में रद्द कर दिया गया था, जिनके पास मेरिट सूची जिसमें एनआईईएलआईटी /डीओईएसीसी द्वारा सीसीसी प्रमाणपत्र नहीं था। आक्षेपित फैसले में खण्ड पीठ ने गलत तरीके से माना है कि 07.10.2017 के फैसले के बाद नियोक्ता ने डीओईएसीसी या एनआईईएलआईटी के सीसीसी प्रमाणपत्र को ध्यान में नहीं रखा। खण्ड पीठ द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं: –

> ".....प्रतिवादी की ओर प्रस्तुत होने वाले विद्वत अधिवक्ता को सुना। शुरूआत में , यह बताना उचित होगा कि विद्वत एकल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने के बाद नियोक्ता ने एक नई चयन सूची तैयार की है और ऐसा करते समय, 'सीसीसी' से संबंधित डीओईएसीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ध्यान में नहीं रखा गया है....."

50. खण्ड पीठ उपरोक्त टिप्पणियों को बनाने में सही नहीं थी क्योंकि न तो विद्वत एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले को दिनांक 07.10.2017 को डीओईएसीसी द्वारा विचारण में सीसीसी सर्टिफिकेट नहीं लेने का निर्देश दिया और न ही निगम या आयोग ने उन नामों को योग्यताा क्रम सूची से हटा दिया, जिनके पास डीओईएसीसी से सीसीसी प्रमाणपत्र था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

51. इस प्रकार, हमारा विचार हैं कि 14.09.2014 के विज्ञापन में उल्लिखित सीसीसी प्रमाणपत्र सीसीसी प्रमाणपत्र था जैसा कि एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी द्वारा दिया गया था।

<u>विन्दू संख्या–2</u>

52. विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य योग्यता सीसीसी प्रमाणपत्र या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता है। कुछ अभ्यर्थी जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र नहीं था और निजी संगठनों और सोसाइटी द्वारा जारी कंप्यूटर योग्यता पर भरोसा करते थे, ने एक स्व–घोषणा की थी कि उनकी कंप्यूटर योग्यता सीसीसी प्रमाणपत्र के बराबर है। हमने ऊपर एक स्व–घोषणा पत्र निकाला है।

53. हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या उम्मीदवारों द्वारा विज्ञापन में स्व–प्रमाणन की उल्लिखित की गई है कि उनकी कंप्यूटर योग्यता सीसीसी के बराबर है। विज्ञापन का खंड (7) योग्यता और अन्य प्रमाणपत्रों के समर्थन में प्रशंसापत्र प्रस्तुत करने से संबंधित है। खंड (7) योग्यता प्रमाण पत्र/मार्कशीट/जाति प्रमाण पत्र आदि की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्व–प्रमाणित और हस्ताक्षरित फोटोकॉपी को संदर्भित करता है। तैयार संदर्भ के लिए, विज्ञापन का खंड (7) निम्नानुसार है: –

"7. योग्यता और अन्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना: –

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रूप से लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर चयन करने का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित/प्रमाण पत्र के कंप्यूटर/प्रमाण पत्र के साथ संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र/मार्क शीट/जाति प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र की स्व –प्रमाणित और हस्ताक्षरित फोटोकॉपी जमा करेगा (जैसा कि सरकारी आदेशों में परिभाषित किया गया है और जिन्होंने सेना में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा प्रदान की है) (जो अप्रासंगिक हैं) साक्षात्कार के समय विज्ञापित पद के लिए योग्यता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की योग्यता के साथ जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं, विभिन्न स्तरों पर जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने/प्राप्त करने के मामले में, किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी को रद्द करने और बिना किसी नोटिस के चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

नोटः

(1) केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) संपूर्ण रूप से दूरस्थ शिक्षा प्रणालियां प्राप्त करने या अनुभव या वांछित व्यापार के आधार पर तकनीकी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा. "

54. यह ध्यान देना और भी प्रासंगिक है कि विज्ञापन में उपरोक्त खंड केवल स्व–प्रमाणित और हस्ताक्षरित योग्यता प्रमाण पत्र, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आदि की फोटोकॉपी को संदर्भित करता है। स्व – प्रमाणन एक प्रसिद्ध अवधारणा है जिसके अनुसार कोई उम्मीदवार प्रमाण पत्र के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन प्राप्त करने के बजाय स्वयं प्रमाणित कर सकता है और उन्हें जमा कर सकते हैं, जो बाद की जांच और सत्यापन के अधीन है। जब आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो उम्मीदवार द्वारा स्व–प्रमाणन लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसे बुलाने के प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पर्याप्त है। खंड (7) का अंतिम भाग आगे यह अनुध्यात करता है कि "लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की अर्हता से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की संवीक्षा की जा सकती है।" खंड (7) अभ्यर्थी की कंप्यूटर योग्यता के किसी स्व–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

घोषणा या स्व–प्रमाणन पर विचार नहीं करता है विज्ञापन ने न तो उम्मीदवारों को स्व–प्रमाणन या स्व–घोषणा देने की परिकल्पना की और न ही अनुमति दी कि उनकी कंप्यूटर योग्यता सीसीसी के बराबर है।

55. एक उम्मीदवार द्वारा दावा की गई योग्यता की समानता भर्ती एजेंसी/नियोक्ता द्वारा जांच का विषय है। यह भर्ती एजेंसी है जिसे इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उम्मीदवार द्वारा योग्यता की समानता का दावा पोषणिय है या नहीं। योग्यता का उद्देश्य और विषय–वस्तु नियोक्ता द्वारा नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की भर्ती के उद्देश्य की जाचँ करने या पूरा करने के लिए तय किया जाता है। यह भर्ती एजेंसी है जो एक उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या कोई उम्मीदवार पात्र है और चयन में भाग लेने का हकदार है। और तब जब विज्ञापन स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार करता है कि योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, तो उम्मीदवारों की पात्रता का पता लगाने के लिए योग्यता की जांच करना भर्ती एजेंसी का कर्तव्य और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दायित्व था। एक उम्मीदवार द्वारा स्व–प्रमाणन या स्व–घोषणा कि उसकी कंप्यूटर योग्यता सीसीसी के बराबर है, न तो विज्ञापन में परिकल्पित किया गया है और न ही पात्रता शर्त को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है।

56. आक्षेपित फैसले में खण्ड पीठ ने माना है कि उनकी कंप्यूटर योग्यता की समतुल्यता के उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन उन्हें योग्य मानने के लिए पर्याप्त थी। खण्ड पीठ ने आगे कहा है कि सीसीसी के बराबर कंप्यूटर योग्यता के लिए उम्मीदवारों द्वारा स्व–घोषणा पर भरोसा करने में नियोक्ता (भर्ती एजेंसी) द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी। निम्नलिखित निर्णय आक्षेपित हैं: –

> "..... वर्तमान दिनों में, कंप्यूटर साक्षरता सिर्फ पहले के दिनों में अक्षर साक्षरता के बराबर है। पत्र की साक्षरता के लिए, स्व–प्रमाणन हमेशा स्वीकार्य थी और उसी के अनुरूप, स्व–प्रमाणन पर कंप्यूटर साक्षरता को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि नियोक्ता ने सीसीसी के बराबर कंप्यूटर साक्षरता के लिए स्व–प्रमाणन के आधार पर घोषणा करते हुए कोई गलत काम नहीं किया।....."

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

57. हम खण्ड पीठ द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमति नहीं हो पा रहे हैं। सीसीसी प्रमाणपत्र के बराबर होने के लिए उम्मीदवार द्वारा दावा की गई कंप्यूटर योग्यता की जांच, विज्ञापन के अनुसार भर्ती एजेंसी/नियोक्ता का दायित्व और कर्तव्य है। भर्ती करने वाली एजेंसी या नियोक्ता कंप्यूटर योग्यता से संबंधित उम्मीदवार की पात्रता की जांच करने के लिए अपने दायित्व का पालन नहीं कर सकते हैं और उम्मीदवार द्वारा स्व–प्रमाणन पर निर्भरता पूरी तरह से अनुचित है और उन उम्मीदवारों की भागीदारी हो सकती है जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य योग्यता को पूरा नहीं करते हैं।

58. पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दिनांक 14.09.2014 को विज्ञापन में कंप्यूटर योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए तुल्यता के उम्मीदवार द्वारा स्व–प्रमाणन की परिकल्पना नहीं की गई है और आगे, उनके कंप्यूटर योग्यता के उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणन पर्याप्त नहीं थी। उन्हें आवश्यक योग्यता पारित करने के लिए प्रवंध करें।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

<u>विन्दू संख्या 3, 4 और 5 का विचारण साथ–साथ</u>

59. निगम या आयोग ने उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष सीसीसी प्रमाणपत्र के समतुल्य निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या मानदंड रिकॉर्ड पर नहीं लाया था। उच्च न्यायालय ने आयोग के लिए विद्वत अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया है कि 22.01.2015 को, प्रतिवादी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र के बराबर तीन महीने या 80 घंटों में पाठ्यक्रम की परिणति पर दिए गए प्रमाणपत्रों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। आयोग के लिए विद्वत अधिवक्ता के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण से संकेत मिलता है कि भर्ती के साथ आगे बढ़ने से पहले आयोग या निगम द्वारा कोई मापदंड या दिशानिर्देश नहीं बनाया गया था। 27.01.2015 वह तारीख है जिसके द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों सम्पन्न हो गए थे। उम्मीदवारों की पात्रता की जांच साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले कम से कम करने की आवश्यकता थी। बुलावा पत्र में, जो साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को जारी किए गए थे, उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लाने की आवश्यकता थी। खंड 5 में साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र में वर्णित आवश्यकताओं में से एक निम्नानुसार है: –

> "'सीसीसी' कंप्यूटर पाठ्यक्रम योग्यता प्रमाणपत्र या कोई अन्य समकक्ष प्रमाणपत्र।"

60. यह नोट करना प्रासंगिक है कि पहले की भर्ती में, जिसे तकनीशियन ग्रेड–II के पद के लिए 2011 में आयोजित किया गया था, डीओईएसीसी द्वारा जारी केवल सीसीसी प्रमाण पत्र अनिवार्य योग्यता का हिस्सा था और यह 2014 की भर्ती के लिए था कि सीसीसी प्रमाण पत्र या समकक्ष कंप्यूटर योग्यता के लिए प्रदान किया गया था। जब सीसीसी के लिए समकक्ष योग्यता एक अनिवार्य योग्यता के रूप में प्रदान की गई थी, तो यह निगम के साथ–साथ भर्ती एजेंसी पर उक्त मुद्दे पर प्रतिबिंबित करने और सीसीसी प्रमाण पत्र की समानता घोषित करने के लिए मानदंड या दिशानिर्देश रखने के लिए अवलंबित था। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से अभिलेख से साबित होता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले निगम या आयोग द्वारा कोई मापदंड या दिशानिर्देश तैयार या निर्धारित नहीं किए गए थे। नियोक्ता, जिसने विज्ञापन जारी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया था और निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता थी, उम्मीदवारों का चयन करने में उत्सुकता से रुचि होनी चाहिए , जो योग्यता को पूरा करते हैं और नियोक्ता की आवश्यकता के अनुसार पद की सेवा करते हैं। निगम और आयोग दोनों द्वारा उम्मीदवारों की कंप्यूटर योग्यता की जांच के बिना चयन सूची तैयार करना, जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र नहीं हैं, कर्तव्य और दायित्व का त्याग है। अपने फैसले में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा यह ध्यान दिया गया है कि यह रिट याचिका में न्यायालय द्वारा निर्देश के बाद ही था, निगम और आयोग दायित्व के लिए अस्तित्वमय हो गया, जो उन पर तुल्यता का पता लगाने के लिए था।

61. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि योग्यता की समानता उम्मीदवारों को स्व–घोषणा द्वारा नहीं छोड़ी जा सकती है। ऐसे मानदंड और दिशानिर्देश होने चाहिए, जो पद के लिए पात्रता के रूप में समकक्ष योग्यता बनाने के उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। "समकक्ष" शब्द को "पी. रमानाथ अय्यर द्वारा रचित एडवान्स लॉ लैक्जिकान, तृतीय संस्करण" में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है: –

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"समकक्ष– मूल्य या मूल्य में समानता

मूल्य, माप, बल, प्रभाव आदि में समान।

समानता, समान। समान इस तथ्य को व्यक्त करता है कि दो चीजें किसी भी चीज में सहमत होती हैं जो डिग्री के लिए,अर्थात् , मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य, थोक, संख्या, अनुपात, दर, रैंक और समान में सक्षम होती हैं।

समानुपातिक ऐसी संपत्तियों में बराबर होती है जो स्वयं को प्रभावित करती हैं या जिन उपयोग से हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं जैसे मूल्य, बल, शक्ति, प्रभाव और प्रभाव (जैसे) "धन की समानता।"

62. जब मुद्दा एक योग्यता की समानता का होता है, जो एक पद के लिए अनिवार्य योग्यता है, तो समकक्ष या तुल्यता घोषित करने वाले मापदंण्ड होने चाहिए, जिसे किसी भी निकाय द्वारा ऐसे अधिकार क्षेत्र के साथ घोषित किया जाना चाहिए और जो योग्यता के समकक्ष घोषित करने के लिए सक्षम है। इस तरह की किसी भी घोषणा के अभाव में, नियोक्ता को समकक्ष योग्यता निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करना है। सीसीसी प्रमाणपत्र डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी द्वारा जारी किया जाता है, जो एक विशेष पाठ्यक्रम पर है। सीसीसी

प्रमाणपत्र के पाठ्यक्रम को पेपर बुक के पेज 225 से 230 पर हमारे सामने रखा गया है। सीसीसी के बराबर किसी अन्य प्रमाण पत्र को घोषित करने के लिए, जिस पाठ्यक्रम पर सीसीसी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, वह सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिस पर ध्यान दिया जाना है। वर्तमान मामले में, निगम या आयोग द्वारा डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी से सीसीसी प्रमाणपत्र पारित नहीं करने वाले उम्मीदवारों द्वारा दावा की गई योग्यता की समानता निर्धारित करने के लिए कोई कवायद नहीं की गई है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने वस्तुगत अभिलेख पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित टिप्पणियों का पालन किया: –

> "जैसा कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है, समकक्षता का प्रश्न केवल उम्मीदवार के स्व–घोषणा पर टिका था। विषय पर उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए न तो निगम और न ही आयोग के पास मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाणपत्रों की कोई सूची थी। समता पर नीति जो 27 जनवरी, 2015 को आई थी, एक निर्णय था जो न केवल बहुत देर से लिया गया था, बल्कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि मौलिक दोषों से पीड़ित है। पाठ्यक्रम सामग्री पर जांच का पूर्ण और स्पष्ट अभाव था। इन मुद्दों को पूरी तरह से उम्मीदवारों के स्व –घोषणा के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आधार पर तय किए जाने के लिए छोड़ देना, शक्तियों का प्रयोग करने में विफलता और आयोग में निहित कार्यों के एक विघटन के असमान सबूत हैं। अधिक मौलिक रूप से, सीसीसी के अलावा कोई भी प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त समकक्ष दिखाया या स्थापित नहीं किया गया था।"

63. यह न्यायालय **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य बनाम जगदीश बलराम बहादुर एवं अन्य,** (2017) 8 **एससीसी 670,** पैराग्राफ 570 में निम्नलिखित कहा गया है:

> **"56.**..... जहां राज्य सार्वजनिक रोजगार की शुरुआत करता है, यह समान अवसर के सिद्धांत का पालन करने के लिए अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश के तहत है। हमारे संविधान में सकारात्मक कार्रवाई पर्याप्त समानता की खोज का हिस्सा है। उपलब्ध संसाधन और सार्वजनिक रोजगार के रूप में प्रदान किए गए अवसर समकालीन समय में मांगों और जरूरतों से कम हैं। इसलिए, चयन की प्रक्रिया, और पात्रता मानदंड के पर्चे में राज्य को प्रतिस्पर्धी दावों के बीच विकल्प बनाने में सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक तत्व है। अयोग्य व्यक्तियों का चयन एक प्रणालीगत विफलता की अभिव्यक्ति है और इसका सुशासन पर एक निंदनीय प्रभाव है। सबसे पहले, एक व्यक्ति का चयन जो पात्र नहीं है, वह किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति देता है जो दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच पाने के लिए अयोग्य है। दूसरे, पात्र व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति जो पद के लिए पात्र नहीं है, उसका चयन किया जाता है। तीसरा, एक गैरकानूनी अवांछनीय रूप से लाभ अर्जित करके एक अवैधता कायम है।....."

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

64. भर्ती की प्रक्रिया में, आयोग ने चयनित सूची में उम्मीदवारों को शामिल किया, जिन्होंने सीसीसी प्रमाणपत्र के बराबर योग्यता का दावा किया। किसी भी जांच के अलावा, उन व्यक्तियों को शामिल करना जिनके साथ आयोग द्वारा कोई संतुष्टि नहीं थी कि उनकी योग्यता सीसीसी के बराबर थी, लेकिन अयोग्य व्यक्तियों को चयनित सूची में शामिल करने की अनुमति देना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि न तो नियोक्ता या भर्ती एजेंसी द्वारा तुल्यता निर्धारित करने के लिए कोई मापदंड या दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और न ही भर्ती की प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा कोई प्रयास किया गया था और कई उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए समकक्ष योग्यता की जांच किए बिना, उनके नाम स्व–प्रमाणीकरण के आधार पर शामिल किए गए थे। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने आक्षेपित फैसले में विद्वत एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को पलट नहीं दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में आयोग द्वारा न तो कोई मापदंड था और न ही कोई जांच की गई थी। खण्ड पीठ उम्मीदवारों द्वारा उनकी योग्यता की समानता के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बारे में स्व–प्रमाणन पर निर्भर थी। खण्ड पीठ ने स्व–प्रमाणन पर भरोसा करने के लिए नियोक्ता और आयोग की कार्रवाई को मंजूरी दी और आयोजित किया: –

> "इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि सीसीसी के समतुल्य कंप्यूटर साक्षरता के लिए स्व–प्रमाणन के आधार पर घोषणा करते समय नियोक्ता ने कोई गलत काम नहीं किया।"

65. खण्ड पीठ के उपरोक्त दृष्टिकोण को तब अनुमोदित नहीं किया जा सकता है जब विज्ञापन ने स्वयं योग्यता की जांच का उल्लेख किया हो और पहली बार भर्ती में, समकक्ष योग्यता भी अनिवार्य योग्यता बनाई गई थी, दोनों निगम और आयोग को भर्ती प्रक्रिया में अधिक सावधानी होना चाहिए चूंकि यह योग्यता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोग और निगम दोनों के हित में है, जो सार्वजनिक हित का संरक्षण कर सकते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। खण्ड पीठ ने विद्वत एकल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायाधीश की निर्देश को अपास्त कर दिया, जिसके द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश ने उन लोगों को बाहर करने का निर्देश दिया था, जिनके पास सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं थे। ऊपर निकाले गए एकल न्यायाधीश की निर्देश दो भागों में है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया:–(i) प्रश्नगत सूची में विज्ञापनों के अनुसार चयनित सूची तैयार की गई है क्योंकि इसमें ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जो एनआईईएलआईटी द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त सीसीसी प्रमाणपत्र नहीं रखते हैं; (ii) प्रतिवादी परिणाम में चयन सूची को फिर से जारी करेंगे, जो इसे मान्यता प्राप्त सीसीसी प्रमाणपत्र रखते हैं या विधि रूप मान्यता प्राप्त योग्यता के समकक्ष योग्यता रखते हैं।

66. उपरोक्त दिशानिर्देश बताती है कि जिन उम्मीदवारों के पास एनआईईएलआईटी/डीओईएसीसी से प्रमाण पत्र थे, उन्हें चयनित सूची में शामिल नहीं किया गया था, चयनित सूची में उनकी स्थिति प्रभावित नहीं थी और चयन सूची को केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था, जिनके पास सीसीसी या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एनआईईएलआईटी प्रमाण पत्र नहीं था। दिशानिर्देश का अभिप्राय या उद्देश्य उन उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करना था, जिन्होंने समकक्ष प्रमाण पत्र का दावा किया है। विद्वत एकल न्यायाधीश की उपरोक्त दिशानिर्देश केवल उन उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करने के उद्देश्य से थी, जो समान कंप्यूटर योग्यता रखते हुए पाए जाते हैं ताकि चयनित सूची में उनके नाम को बनाए रखा जा सके। 07.10.2017 को विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद, आयोग ने मेरिट सूची को संशोधित करने के लिए सरकारी आदेश दिनांक 03.05.2016 के तहत दिए गए दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया। सरकारी आदेश दिनांक 03.05.2016 के तहत निर्धारित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं: –

> *"a) मध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से या केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान/शिक्षा बोर्ड/परिषद से एक स्वतंत्र विषय या कंप्यूटर विज्ञान के साथ हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा की योग्यता।*

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

b) *यदि किसी उम्मीदवार ने कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की है, तो वह कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के रूप में भर्ती होने के लिए भी पात्र होगा।"*

इस प्रकार, उम्मीदवारों के अलावा संशोधित चयन सूची में, जिनके पास डीओईएसीसी/एनआईईएलआईटी से सीसीसी प्रमाणपत्र थे, जिन उम्मीदवारों को दिनांक 03.05.2016 के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत किया गया था, उन्हें भी सीसीसी के समतुल्य माना गया था और उन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा अंक प्राप्त करने के कारण मेरिट सूची में स्थान दिया गया था।

67. खण्ड पीठ ने कहा कि योग्यता के लिए उम्मीदवारों द्वारा स्व–प्रमाणीकरण भर्ती एजेंसी की पहले की कार्रवाई को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था जिसमें समकक्ष प्रमाण पत्र की जांच के बिना उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। विद्वत एकल न्यायाधीश की दिशानिर्देश विधि के अनुसार थी और उसने पर्याप्त न्याय किया है, जो खण्ड पीठ

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा अपास्त किए जाने के लायक नहीं था। हम आगे नोटिस कर सकते हैं कि चयनित सूची को फिर से निर्धारित करने के लिए आयोग द्वारा किए गए प्रयास के बाद, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों, जिनके प्रमाण पत्र सीसीसी प्रमाणपत्रों के बराबर नहीं पाए गए थे, को चयनित सूची से हटा दिया गया था। जिन उम्मीदवारों के नाम उनकी योग्यता के कारण चयनित सूची से हटा दिए गए थे, उनके समकक्ष नहीं पाए जाने के कारण उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थीं। रोहित की एक रिट याचिका (2018 की रिट याचिका सं. 13216–रोहित बनाम यू.पी. राज्य एवं 2 अन्य), जिसका नाम 13.05.2018 को हटा दिया गया था, को अपीलकर्ताओं द्वारा संदर्भित और भरोसा किया गया था। रोहित द्वारा रिट याचिका को खारिज करने के खिलाफ एक विशेष अपील भी दायर की गई थी, जहां खण्ड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा था कि उस याचिका के रिट याचिकाकर्ता के पास सीसीसी प्रमाण पत्र नहीं था, को चयनित सूची से सही रूप से बाहर रखा गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

68. इस प्रकार, चयनित सूची से कुछ उम्मीदवारों के नामों को हटाने को उच्च न्यायालय की एक पूर्व खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उन लोगों के मामलों को स्वीकार किए बिना, जिनके नामों को हटाने को उच्च न्यायालय की पूर्व खण्ड पीठ ने बरकरार रखा था, ने चयनित सूची को बहाल कर दिया था, जो 14.07.2015 को अस्तित्व में थी। उपरोक्त कारणों से, खण्ड पीठ के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

<u>विन्दू संख्या– 6</u>

69. श्री दुष्यंत दवे, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चयनित सूची में उम्मीदवारों को विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं होने के कारण, उनके पास अपना मामला रखने का कोई अवसर नहीं था और विद्वत एकल न्यायाधीश ने चयनित सूची को रद्द करने में मिटा दिया, जो कि निर्णय विद्वत एकल न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन में है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

70. यह सच है कि सभी नाम, जो चयन सूची में थे, को रिट याचिका में निहित नहीं किया गया था, जिसे 14.07.2015 की चयनित सूची और उसके बाद की चयन सूची को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। उदाहरण के लिए, 2015 की रिट याचिका सं. 41750 में–प्रशांत कुमार जायसवाल एवं 12 अन्य बनाम यू.पी. राज्य एवं 10 अन्य, जो कि रिट याचिका का नेतृत्व कर रहे थे, हालांकि प्रतिनिधित्व क्षमता में चयनित उम्मीदवारों को शामिल किया गया था, जो कि निम्नलिखित शब्दों में आक्षेपित फैसले में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा देखा गया है:–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"……याचिकाओं में विभिन्न चयनित उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व क्षमता में रखा गया है। हालांकि उक्त उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व काउंसल द्वारा किया गया था, उनकी ओर से कोई भी निर्गत या अग्रीम प्रस्तुतियाँ नहीं दी गई थीं। चयनित उम्मीदवारों में से किसी की ओर से, श्री नंदन अकेले रिट–ए संख्या 18129 सन् 2017 में उपस्थित हुए हैं।"

71. श्री दवे **अशोक कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2017) 4 एससीसी 357** मामले का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया कि जिन उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है, उन्हें चयन को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 से 19 तक निम्नलिखित निर्धारित किया हैं:–

"13. इस न्यायालय के कई फैसलों में इस विषय पर कानून को निश्चित रूप धारण किया गया है। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला, (2002) 6 एससीसी 127 के मामलें में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को निर्धारित किया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया के लिए एक चुनौती को रोक दिया जाता है। रिट याचिका,जिसमें

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परीक्षा को चुनौती दी गई है, को स्वीकार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जहॉ पर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मलित हुआ है। वह बाद में कायापलट नहीं कर सकता या सकती है और यह तर्क दे सकता है कि यह प्रक्रिया अनुचित थी या इसमें एक अन्तराल थी, केवल इसलिए कि परिणाम अनुकूल नहीं है। भारत संघ बनाम एस विनोद कुमार, (2007) 8 एससीसी 100 में, इस न्यायालय ने कहा कि: (एससीसी पी. 107, पैरा 18)

> "18. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, वे पूरी तरह से जानते थे कि उसमें निर्धारित प्रक्रिया उसी पर सवाल उठाने के हकदार नहीं थे। (मुनींद्र कुमार बनाम राजीव गोविल, (1991) 3 एससीसी 368 और रश्मि मिश्रा बनाम एमपी लोक सेवा आयोग, (2006) 12 एससीसी 724 देखें।)"

14. *अमन ज्योति बोरोहा, (2009) 3 एससीसी 227* के मामलें में भी यही विचार दोहराया गया था, जिसमें यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, वे पूरी तरह से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जानते हुए भी असफल घोषित होने पर इस पर सवाल उठाने के हकदार नहीं हैं।

15. *मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी 576* मामलें में, इसी सिद्धांत को निम्नलिखित टिप्पणियों में दोहराया गया था: (एससीसी पृष्ठ 584, पैरा 16)

> "16. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि चयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के बाद यह अच्छी तरह से जानते हुए कि साक्षात्कार परीक्षा के लिए 19% से अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, याचिकाकर्ता चयन के मानदंडों या प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है। निश्चित रूप से, यदि याची का नाम मेरिट सूची में आ गया होता तो वह चयन को चुनौती देने का सपना भी नहीं देखता। याची ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान तब किया जब उसने पाया कि उसका नाम आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में नहीं है। याचिकाकर्ता का यह आचरण स्पष्ट रूप से उसे चयन पर सवाल उठाने से रोकता है और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को ग्रहण करने से इनकार करके कोई त्रुटि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नहीं की। इस संबंध में संदर्भ *मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1995) 3 एससीसी 486, मारीपति नागराजा बनाम ए.पी. राज्य, (2007) 11 एससीसी 522, धनंजय मलिक बनाम उत्तरांचल राज्य, (2008) 4 एससीसी 171, अमलन ज्योति बोरोहा बनाम असम राज्य, (2009) 3 एससीसी 227 और के.ए. नागमणि बनाम इंडियन एयरलाइंस, (2009) 5 एससीसी 515* में निर्णयों के लिए किया जा सकता है।"

16. *विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग, (2011) 1 एससीसी 150* के मामलें में, चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पता था कि उन्हें कंप्यूटर संचालन में कुछ विशिष्ट योग्यता रखने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुए थे और साक्षात्कार में भाग लेने के बाद चयन प्रक्रिया को अधिकार क्षेत्र के बिना चुनौती देने की मांग की थी। यह अस्वीकार्य होने के लिए आयोजित किया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

17. *रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी,* (2013) 11 एससीसी 309 उम्मीदवारों में, जो उत्तराखंड राज्य में फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ने एक विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित एक लिखित परीक्षा में भाग लिया। इस न्यायालय ने माना कि यदि उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर ली है, तो प्रतिवादीं ने चयन प्रक्रिया या अपनाई गई कार्यप्रणाली पर कोई आपत्ति नहीं जताई होगी। चयन का अवसर प्राप्त करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थियों को अनुच्छेद 226 के अधीन राहत पाने से वंचित किया गया था और यह समझा जाएगा कि उसने विज्ञापन या चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के उनके अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि: (एससीसी पृष्ठ 318, पैरा 18)

> "18. यह तय कानून है कि जो व्यक्ति जानबूझकर चयन की प्रक्रिया में भाग लेता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है, उसके बाद, चयन की विधि और उसके

परिणाम पर सवाल नहीं उठा सकता है।"

18. *चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जैस्मीन कौर,* (2014) 10 एससीसी 521, वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई अभ्यर्थी जो स्वयं या स्वयं को चयन प्रक्रिया के अधीन करके परिकलित जोखिम या अवसर लेता है, वह वापस नहीं हो सकता और यह शिकायत नहीं कर सकता कि चयन की प्रक्रिया उसके न होने के कारण अनुचित थी। *प्रदीप कुमार राय बनाम दिनेश कुमार पाण्डेय,* (2015) 11 एससीसी 493 में, इस न्यायालय ने कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 500, पैरा 17)

"17. इसके अलावा, हम एक और बिंदु पर

खण्ड पीठ के साथ सहमति व्यक्त करेंगे कि

अपीलकर्ताओं ने साक्षात्कार की प्रक्रिया में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भाग लिया था और परिणाम घोषित होने तक इसे चुनौती नहीं दी थी। साक्षात्कार और परिणाम की घोषणा के बीच लगभग चार महीने का अंतर था। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने उस समय इसे चुनौती नहीं दी। यह, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल जब अपीलकर्ताओं ने खुद को असफल पाया, तो उन्होंने साक्षात्कार को चुनौती दी। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उम्मीदवार एक ही समय में समर्थन और निंदा नहीं कर सकते। या फिर अभ्यर्थी ने साक्षात्कार में भाग नहीं लिया और प्रक्रिया को चुनौती दी या उन्हें आयोजित साक्षात्कार के तत्काल बाद चुनौती दी जानी चाहिए थी।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इस सिद्धांत को *मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज बनाम के.के. शिवसुब्रमण्यन,* (2016) 1 एससीसी 454 में हाल के एक फैसले में दोहराया गया है।

19. वर्तमान मामले में, इस तथ्य के संबंध में होना चाहिए कि अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से नोटिस पर थे, जब नई चयन प्रक्रिया हुई कि लिखित परीक्षा में नब्बे अंक और साक्षात्कार दस अंक होंगे। अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसके अलावा, दो अन्य मानकों का भी इस पर प्रभाव था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले[1] में उल्लेख किया कि नियम 6 की व्याख्या अस्पष्टता से मुक्त नहीं थी। दूसरे शब्दों में , उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अतिस्पष्ट या पेटेंट अवैधता नहीं थी। नियम 6 के बारे में अस्पष्टता का एक तत्व था कि क्या पदोन्नति से निपटा गया था, केवल तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियम 5 में प्रदान की गई परीक्षा की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आवश्यकता को शामिल किया गया था या क्या अंक और योग्यता अंक भी शामिल किए गए थे। इसके अलावा, 90:10 आवंटन द्वारा अपीलकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं किया गया था।"

72. वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के अनुसार रिट याचिकाकर्ता व्यथित नहीं थे। न्यायिक समीक्षा प्राप्त करने के लिए उनके लिए कार्रवाई का कारण केवल तभी उत्पन्न हुआ था जब आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करने वाले व्यक्तियों को चयनित सूची में शामिल किया गया था।

73. इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले 31.07.2015 को रिट याचिका में एक आदेश पारित किया गया था, जिसे ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें निगम की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने एक बयान दिया था कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने 17.02.2016 के अपने आदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

से, ऊपर निकाले गए सभी नियुक्तियों को रिट याचिका के परिणाम के अधीन कर दिया है।

74. एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग ने उन उम्मीदवारों से एक वचन प्राप्त किया था, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास सीसीसी के बराबर योग्यता है कि यदि उनकी योग्यता सीसीसी के बराबर नहीं पाई जाती है, तो आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह उन्हें स्वीकार्य होगा। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए पत्रों में से एक में याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुलग्नक पी–3 के तौर पर संक्षेप में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रति –शपथपत्र एसएलपी (सी) संख्या 12943 /2018 के (दीवानी अपील नंबर 9026/2019) के रूप में अभिलेख पर लाया गया है , जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: –

"सेवा में,

सचिव,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पॉवर सर्विस कमिशन

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लखनऊ।

विषय:–कंप्यूटर के 'सीसीसी' प्रमाणपत्र की समतुल्यता के संबंध में।

महोदय,

मैं, अभिजीत कुमार पुत्र बीरेंद्र पाण्डेय इस बात की घोषणा करता हूँ कि तकनीशियन के पद के लिए साक्षात्कार के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर प्रमाणपत्र विज्ञापन सं. 4/पीएससी/2014 के तहत ग्रेड–2 (पावर), एनआईईएलआईटी द्वारा संचालित 'सीसीसी' पाठ्यक्रम के बराबर है और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसमें 'सीसीसी' के अंतर्गत पूर्ण पाठ्यक्रम इसमें शामिल है।

यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर प्रमाणपत्र 'सीसीसी' के बराबर नहीं पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी के बारे में पावर सर्विस कमीशन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वही मुझे स्वीकार्य होगा। यदि मेरी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है, तो मैं किसी भी तरह का दावा नहीं करूंगा।

दिनांक– 02.01.2015

हस्ताक्षरित/–
(अभिजीत कुमार)
रोल नंबर. 2013120008"

75. वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां रिट याचिकाकर्ताओं ने किसी भी व्यक्तिगत उम्मीदवार की एक विशेष योग्यता के लिए कोई चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उनकी चुनौती यह थी कि बड़ी संख्या में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उम्मीदवारों की जांच किए बिना, जो सीसीसी प्रमाण पत्र के बराबर योग्यता का दावा कर रहे थे, बिना किसी जांच के और योग्यता को पूरा किए बिना उन्हें शामिल किया गया हैं । रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि निजी संगठनों और अपंजीकृत सोसाईटी द्वारा जारी किया गया कंप्यूटर प्रमाणपत्र, जिन्हें न तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी या किसी वैधानिक निकाय द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता था। हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि खण्ड पीठ ने रिट याचिका में सभी चयनित उम्मीदवारों के गैर–प्रत्यारोप के उपरोक्त तर्क पर भी गौर किया है लेकिन खण्ड पीठ ने उपरोक्त तर्क पर अपना निर्णय आधारित नहीं किया है। जब बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है तो एक मनमाना या अवैध प्रक्रिया के आधार पर, पीड़ित पक्ष शिकायत कर सकते हैं और ऐसे मामलों में प्रत्येक और हर व्यक्ति के निहितार्थ की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, जब चयनित सूची में 2211 उम्मीदवारों के नाम शामिल होते हैं, तो चुनौती की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक उम्मीदवार को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

फंसाना अनावश्यक हो जाता है, जो रिट याचिका में लगाया गया था। इसके अलावा, कुछ चयनित उम्मीदवारों को प्रतिनिधि क्षमता में रिट याचिकाओं में भी शामिल किया गया था।

76. उपरोक्त वर्णित कारणों से, हमारा विचार हैं कि विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले को इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि सभी चयनित उम्मीदवारों को 14.07.2015 की चयनित सूची को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में निहित नहीं किया गया था।

77. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विद्वत अधिवक्ता ने दीवानी अपील नंबर 9028 /2019– रवि प्रकाश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रस्तुतियाँ में से एक कथन दिया गया है कि हालांकि अपीलकर्ताओं के नाम मूल चयन सूची या संशोधित चयन सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के शामिल न होने और इस्तीफे के कारण रिक्तियों की संख्या और उनके पास सीसीसी प्रमाण पत्र के बराबर कंप्यूटर प्रमाण पत्र है, प्रतिवादी को उन रिक्तियों को भरने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जो योग्यता के क्रम में अगले हैं। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता वे हैं जिनके पास सीसीसी प्रमाणपत्र हैं। हम यह देखते हैं कि उम्मीदवारों के शामिल न होने या इस्तीफे के कारण कई रिक्तियां हैं, इसके बाद की घटना है, जिसके संबंध में, निगम के लिए कोई निर्णय लेना और इस अपील में कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसाहै , तो अपीलकर्ता–व्यथित उम्मीदवार हमेशा निगम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

78. एक और प्रस्तुति, जो उन उम्मीदवारों के वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया है जो शुरू में 14.07.2015 की चयनित सूची में थे और चयनित सूची को फिर से तैयार करने के कारण चयन सूची से बाहर गए थे, यह है कि अभी भी रिक्तियां हैं जिस पर उन्हें समायोजित किया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्याय इस मामले के तथ्यों में इस न्यायालय द्वारा समायोजित किया जाना है। उम्मीदवारों, जो पहले से ही 14.07.2015 की चयनित सूची में थे, अगस्त, 2015

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में नियुक्त किए गए थे और लगभग 03 वर्षों तक काम किया था, जो एक कारक है, जिसे इस न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक माना जा सकता है। हम केवल यह देखते हैं कि ये मुद्दे हैं, जिन्हें निगम को संबोधित करने की आवश्यकता है। क्या मौजूदा रिक्तियों को भर्ती द्वारा भरा जाना है, जिसे 2014 में किया गया था या मौजूदा रिक्तियों के लिए कोई और कदम उठाया जाना है, वे मुद्दे हैं जिन पर निगम द्वारा विचार किया जाना है और इस संबंध में हमें कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हम मानते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्रता होगी, जो विधि के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है।

79. पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, हम सभी अपीलों की अनुमति देते हैं और खण्ड पीठ के दिनांक 09.05.2019 के निर्णय को अपास्त करते हैं और विद्वत एकल न्यायाधीश के दिनांक 07.10.2017 के निर्णय को बहाल करते हैं। पक्षकार अपनी लागत वहन करेंगे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....न्यायामूर्ति
(अशोक भूषण)

.....न्यायामूर्ति
(नवीन सिन्हा)

नई दिल्ली,
16 दिसम्बर **2019**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।